दिनांक 25.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 25/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मैनपुरी/थाना दन्नाहार

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 25.07.2022 को थाना दन्नाहार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राजू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सोनू 3–रतनवीर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 10 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू व रतनवीर थाना दन्नाहार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 184/2022 धारा 397/302/34 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना दन्नाहार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू निवासी मो0शाक्यान थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

2–सोनू निवासी नगला इंद्र थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

3–रतनवीर निवासी नगला इंद्र थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 04 खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद मीरजापुर/थाना लालगंज

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 24/25.07.2022 को थाना लालगंज थाना कोतवाली देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1–महताब 2–हर्षवर्धन उर्फ जनमेजय 3–सचिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर राजापुर किसान तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार

बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 4—आमिर अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.07.2022 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 164/2022 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त आमिर अली जनपद मीरजापुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लालगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—महताब निवासी माण्डाखास थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।

2—हर्षवर्धन उर्फ जनमेजय निवासी कठार बरौंधा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

3—सचिन निवासी सिरौठी थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।

4—आमिर अली निवासी माण्डाखास थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 01 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2—लूट का 01 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद गाजीपुर/थाना दुल्लहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **लूट के 7 हजार 370 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.07.2022 को थाना दुल्लहपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अमारी गेट पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त रणजीत उर्फ गोलू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस, लूट के 7 हजार 370 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजीपुर, वाराणसी के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये थाना दूल्लहपुर पर पंजीकृत लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना दुल्लहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रणजीत उर्फ गोलू निवासी नसीरपुर थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

2–लूट के 7 हजार 370 रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद झॉसी/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की 27 लाख 19 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 25.07.2022 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अटा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1–इशरार उर्फ बाबूजी 2–अब्दुल सईद 3–नीरज 4–रोहित को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 27 लाख 19 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः17.07.2022 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0–301/2022 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–इशरार उर्फ बाबूजी निवासी झोकन बाग थाना नवाबाद जनपद झॉसी।

2–अब्दुल सईद निवासी सिविल लाइन थाना नवाबाद जनपद झॉसी।

3–नीरज निवासी टपरियन मोहल्ला हंसारी थाना प्रेमनगर जनपद झॉसी।

4–रोहित निवासी मेंहदीबाग थाना कोतवाली जनपद झॉसी।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 27 लाख 19 हजार रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 कार।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस ।

<u>जनपद जौनपुर/थाना बदलापुर</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल**
- **चोरी की कटी हुई 09 मोटर साइकिल के चेचिंस**
- **चोरी के 02 इंजन, भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पार्ट्स बरामद**

दिनांक 24.07.2022 की रात्रि को थाना बदलापुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीली नदी ग्राम शाहपुर के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–उपेन्द्र कुमार 2–महेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल, चोरी की कटी हुई 09 मोटर साइकिल के चेचिंस, 02 इंजन, 12 पहिया टायर मय रिम, 06 रिम बिना टायर मोटर साइकिल, भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पार्ट्स आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का वाहन चोर है, जो जनपद जौनपुर के भिन्न भिन्न स्थानों से वाहनों की चोरी करके कबाड़ी के हाथ बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना बदलापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उपेन्द्र कुमार निवासी ग्राम दुगौली खुर्द थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।

2–महेन्द्र निवासी सरायगुंजा थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल।

2–चोरी की कटी हुई 09 मोटर साइकिल के चेचिंस, 02 इंजन।

3–12 पहिया टायर मय रिम, 06 रिम बिना टायर के मोटर साइकिल।

4–भारी मात्रा में मोटर साइकिल के पार्ट्स आदि।

एसटीएफः लगभग 02 वर्ष से फरार चल रहे 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी विष्णु मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार।

दिनांक 24–07–2022 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद भदोही के थाना गोपीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 273/2020 धारा 323/504/449/347/387/419/420/467/468/471/474/120बी भादवि व मु0अ0सं0 379/20 धारा 376डी/342/506 भादवि में वांछित/ फरार चल रहे 01 लाख रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

विष्णु मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा निवासी खपटिहॉ थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज हाल पता– फ्लैट नं0 69 प्रथम तल आनन्द लोक थाना डिफेन्स कॉलोनी जनपद दक्षिणी नई दिल्ली।

बरामदगी का विवरणः–

1– 01 अदद पासपोर्ट।

2– 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।

3– 50 हजार रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांक

फ्लैट नं0–205 ए–1विंग ऑक्सीजन वैली कोऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी सोलापुर पुणे हाइवे थाना हडपसर जनपद पुणे (महाराष्ट्र) दिनांक 24–07–2022 समय– सायंकाल 06. 10 बजे।

उपरोक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि वादी श्री कृष्ण मोहन तिवारी पुत्र स्व0 बिन्देश्वरी तिवारी निवासी धनापुर कौलापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही द्वारा स्थानीय पुलिस पर लिखित सूचना दी गयी थी कि विजय मिश्रा (पूर्व विधायक ज्ञानपुर भदोही), इसकी पत्नी श्रीमती रामलली मिश्रा व पुत्र विष्णु मिश्रा द्वारा वादी के मकान को जबरन गुण्डई के बल पर कब्जा कर लिया गया है और मारपीट कर उसके पी0डब्लू0डी0 व खनन विभाग की ठेकेदारी फर्म को हडप लिया गया तथा ठेकेदारी के सारे कार्य कराते हुये पैसा का लेन देने फर्जी तरीके से स्वयं के फर्म में किया जा रहा है। वादी की पैतृक सम्पत्ति को भी कूटरचित वसीयतनामा बनवा कर हडपने के लिये डराया धमकाया जा रहा है। इस सूचना पर जनपद भदोही के थाना गोपीगंज पर दिनांक 04–08–2020 को मु0अ0सं0 273/2020 धारा 323/504/449/347/387/419/420/467/468/471/474/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी प्रकार वादिनी मुकदमा सरिता (काल्पनिक नाम) निवासी जैतपुरा थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी द्वारा दिनांक 18–10–2020 को थाना गोपीगंज जनपद भदोही पर लिखित सूचना दी गयी कि विजय

मिश्रा (पूर्व विधायक ज्ञानपुर भदोही), विष्णु मिश्रा व विकास मिश्रा द्वारा उसे बन्धक बनाकर बलात्कार किया गया तथा उसकी व्यक्तिगत फोटो व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गयी। इस सूचना पर थाना गोपीगंज भदोही पर मु0अ0सं0 379/20 धारा 376डी/342/506 भादवि विष्णु मिश्रा आदि के विरूद्ध नामजद पंजीकृत करते हुये उपरोक्त दोनों अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा प्रारम्भ करते हुये विष्णु मिश्रा के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गयी थी। इसी दौरान उक्त दोनों अभियोग की विवेचना उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी को स्थानान्तरित की गयी। उक्त दोनों अभियोग में विष्णु मिश्रा लगभग 02 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसके विरूद्ध उपरोक्त दोनों अभियोगों में अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी द्वारा 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। उक्त विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार करने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी को आवश्यक निर्देश दिये गये थे। फरार/वांछित विष्णु मिश्रा के पुणे (महाराष्ट्र) के आस–पास लुकछिप कर रहने की सूचना प्राप्त हो रही थी कि इसी क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव, उ0नि0 अंगद सिंह यादव व हे0कां0 राहुल सिंह की टीम धरातलीय अभिसूचना संकलन हेतु पुणे (महाराष्ट्र) में मौजूद थी, कि दिनांक 24–07–2022 को अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त विष्णु मिश्रा के फ्लैट नं0–205 ए–1विंग ऑक्सीजन वैली कोऑपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी सोलापुर पुणे हाइवे थाना हडपसर जनपद पुणे पर मौजूद होने की संभावना है। इस पर एस0टी0एफ0 वाराणसी टीम द्वारा तत्काल उक्त स्थान पर पहुॅच कर दबिश देकर विष्णु मिश्रा को गिरफ्तार करते हुये उपरोक्त बरामदगी की गयी।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता विजय मिश्रा (पूर्व विधायक ज्ञानपुर भदोही) व अन्य सहयोगियों को पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उसकी गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 वाराणसी द्वारा लगातार उसके

छुपने के स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। इससे वह डर कर भदोही से मुम्बई भाग आया था। कुछ दिन मुम्बई में अपने बहने के यहॉ रूकने के बाद वहॉ से हैदराबाद भाग गया तथा विभिन्न होटल व गेस्ट हाऊस आदि छुप कर रह रहा था। माह नवम्बर 2021 में वह पुणे आया, जहॉ पर उसके रिश्तेदार दिनेश पाण्डेय ने किराये पर फ्लैट लेकर उसे दिया था, जहॉ पर वह लुकछिप कर रह रहा था। इस दौरान उसने अपने किसी भी करीबी व्यक्ति से सम्पर्क नही किया ताकि वह पकड़ा न जा सके।

विष्णु मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा का अपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः-

क्रसं	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	688/09	419/420/467/468भादवि	गोपीगंज	भदोही
2	1141/09	3/25आर्म्स एक्ट	गोपीगंज	भदोही
3	273/20	323/504/449/347/387/419/420/467/468/471/474/120बी भादवि	गोपीगंज	भदोही
4	375/20	174ए भादवि	गोपीगंज	भदोही
5	379/20	376डी/342/506 भादवि	गोपीगंज	भदोही
6	244/20	216 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट	गोपीगंज	भदोही
7	194/21	147/148/452/323/504/506/307/511/392/120बी भादवि	जैतपुरा	वाराणसी
8	265/21	174ए भादवि	गोपीगंज	भदोही

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त विष्णु मिश्रा को पुणे की स्थानीय न्यायालय में प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किये जाने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

————————